अनुदान संख्या 8 – नागर विमानन मंत्रालय
GRANT No. 8 - MINISTRY OF CIVIL AVIATION

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	3771,74,00	4077,65,00	4040,28,00	-37,37,00
पूरक	Supplementary	305,91,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				34,94,00
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	25,97,00	53,97,00	49,89,76	-4,07,24
पूरक	Supplementary	28,00,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				4,01,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads :-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय – आर्थिक सेवाएं	Secretariat- Economic Services				
मू.	O.	4336.00			
पू.	S.	1934.00	5663.00	5624.88	-38.12
पु.	R.	-607.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
पूर्वोत्तर क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	6999.00	..	..	..
पु.	R.	-6999.00			
मुख्य शीर्ष "3053"	Major Head "3053"				
नागर विमानन	Civil Aviation				
मू.	O.	365839.00	398608.00	398403.12	-204.88
पू.	S.	28657.00			
पु.	R.	4112.00			

(I) ₹7033.00 लाख का प्रावधान (सितंबर, 2020 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) सात शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इसमें से ₹6999.00 लाख अकेले मुख्य शीर्ष "2552" – "अन्य व्यय – क्षेत्रीय कनेक्टीविटी स्कीम" के अंतर्गत – पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण, लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of ₹7033.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in September, 2020) remained wholly unutilized under seven heads; of these ₹6999.00 lakhs alone accounted for under Major Head "2552" - "Other Expenditure - Regional Connectivity Scheme" - due to re-appropriation of funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) मुख्य शीर्ष "3053" – "सामान्य – सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को सहायता – एयर इंडिया परिसंपत्ति धारिता (एसपीवी)" – फरवरी, 2021 में ₹106.00 लाख के पूरक अनुदान को प्राप्त करके ₹220500.00 लाख के मूल प्रावधान को बढ़ाकर ₹220606.00 लाख कर दिया गया। तथापि, एयर इंडिया की परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण किए जाने के कारण ₹2244.00 लाख (पूरक अनुदान सहित) की बचत हुई।

(II) Under Major Head "3053" - "General - Assistance to Public Sector and Other Undertakings - Air India Assets Holding (SPV)" - the original provision of ₹220500.00 lakhs was augmented to ₹220606.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹106.00 lakhs in February, 2021. However, there was a saving of ₹2244.00 lakhs (including supplementary grant) - due to monetization of Air India properties.

(III) मुख्य शीर्ष "3451" – "सचिवालय – नागर विमानन मंत्रालय" – सितंबर 2020 में ₹1934.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹4306.00 लाख के मूल प्रावधान को बढ़ाकर ₹6240.00 लाख कर दिया गया, जो कि महंगाई भत्ते के स्थिरीकरण के कारण वेतन के लिए, कम प्रशिक्षण के आयोजन और कम दौरे किए जाने के कारण निधियों की कम आवश्यकता के चलते ₹624.32 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(III) Under Major Head "3451" - "Secretariat - Ministry of Civil Aviation" - the original provision of ₹4306.00 lakhs was augmented to ₹6240.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹1934.00 lakhs in September, 2020 which however, remained unutilized to the extent of ₹624.32 lakhs - due to requirement of less funds towards salaries owing to freezing of dearness allowance, holding of less number of trainings and less tours undertaken.

(IV) मुख्य शीर्ष "3053" – "सामान्य – निदेशन और प्रशासन – महानिदेशक नागर विमानन" – ₹843.73 लाख की बचत (₹11038.40 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बाहरी स्रोत से कम सेवाएं प्राप्त करने, कम दौरे किए जाने और महंगाई भत्ते के स्थिरीकरण के कारण वेतन के लिए निधियों की कम आवश्यकता के चलते हुई।

(IV) Under Major Head "3053" - "General - Direction and Administration - Director General Civil Aviation" - saving of ₹843.73 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11038.40 lakhs) was due to outsourcing of less staff, less tours undertaken and requirement of less funds towards salaries owing to freezing of dearness allowance.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹6999.00 लाख) अप्रयुक्त रहीं जैसाकि फरवरी 2021 में मुख्य शीर्ष "3053" – "सामान्य – अन्य व्यय – क्षेत्रीय कनेक्टीविटी स्कीम" के अंतर्गत ₹28656.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

2.(I) The above savings were partly (₹6999.00 lakhs) unutilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹28656.00 lakhs in February, 2021 under Major Head "3053" - "General - Other Expenditure - Regional Connectivity Scheme".

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "3053" – "सामान्य – नागर विमानन सुरक्षा – नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं – ₹607.86 लाख का अधिक व्यय (₹4201.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ अनुबंध में देरी के कारण बीसीएएस के नवनिर्मित एकीकृत ऑफिस कॉम्पलेक्सो के विद्युत और उपयोगिकता प्रभारों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के चलते उत्पन्न हुआ।

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "3053" - "General - Civil Aviation Security - Bureau of Civil Aviation Security" - excess of ₹607.86 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4201.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards electricity and utility charges of newly constructed integrated office complex of BCAS owing to late finalization of agreement with Airport Authority of India.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:–

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष “5053”	Major Head “5053”				
नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Civil Aviation				
मू.	O.	2597.00			
पू.	S.	1400.00	3596.00	3589.76	-6.24
पु.	R.	-401.00			

(I) ₹2.00 लाख का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूरी तरह अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹2.00 lakhs remained wholly unutilized under two heads.

(II) “सामान्य – निदेशन और प्रशासन – महानिदेशक नागर विमानन” के अंतर्गत – फरवरी, 2021 में ₹1000.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹1886.00 लाख के मूल प्रावधान को बढ़ाकर ₹2886.00 लाख कर दिया गया जो कि ई–जीसीए परियोजना की समय सीमा पूर्ण न होने के कारण ₹395.67 लाख की सीमा तथा अप्रयुक्त रहा।

(II) Under “General – Direction and Administration – Director General Civil Aviation” – the original provision of ₹1886.00 lakhs was augmented to ₹2886.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹1000.00 lakhs in February, 2021 which however, remained unutilized to the extent of ₹395.67 lakhs – due to non-completion of timelines of Phase IV in e-GCA Project.